30-11-22 पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट हाजिर। बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बताया कि पटवारी हल्का करकड़ा ने दिनांक 6-11-17 को एक रिपोर्ट नायब तहसीलदार अजीतगढ को पेश कर भूमि खसरा नं. 674/1 रकबा 0.60 हे० भूमि मे से 0.02 हे० पर अपीलान्ट ने पुख्ता मकान बना रखा है। उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर उप तहसीलदार अजीतगढ ने दिनांक 7-12-2017 को प्रार्थी अपीलान्ट को धारा 91 L.R. Act के तहत नोटिस जारी कर पत्रावली को दर्ज रजिस्टर किया। दिनांक 15-12-2017 को पत्रावली पेश हुई और अपीलान्ट को अनुपस्थित दिखाकर बेदखली का आदेश पारित कर दिया जो अपास्त किये जाने योग्य है। धारा 91 L.R. Act का नोटिस अपीलान्ट को प्राप्त नहीं हुआ। अपीलान्ट को बिना सुनवाई के आदेश पारित किया गया है। भूमि खसरा नं. 674/1 की लीज होल्ड अपीलान्ट की खातेदारी भूमि है। उसी भूमि में मकान बने हुए है। जिसकी सही माप जांच नहीं कि गई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जावे एवं उप तहसीलदार अजीतगढ का आदेश दिनांक 15-12-2017 को अपास्त फरमाया जावे।

वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। उप तहसीलदार अजीतगढ द्वारा [illegible] के आदेश का अवलोकन [illegible] से स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का [illegible] पुख्ता अवसर नहीं दिया गया है।

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:02:18 IST
Reason: SelfAttested

बनाम

तथा निर्णय के अवलोकन से भी यह
स्पष्ट होता है कि उप तहसीलदार –
अजीतगढ द्वारा जो निर्णय किया गया
जो एक प्रारूप बनाकर इसमें पैन
से गाव का नाम पटवार हल्का, रकबा
शामिल लगान आदि भरे गये है। जिससे
यह साबित होता है कि उप तहसीलदार
अजीतगढ द्वारा निर्णय पारित करते
वक्त सभी साक्ष्य, सबूतो को नही देखा
गया। एवं ना ही रिकार्ड का गहनता
से अवलोकन किया गया है। तथा -
अपील की तामिल भी सम्यक रूप से
नही करवायी गई है। इस आधार
पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किया
जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के
आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार
कि जाती है। तथा उप तहसीलदार
अजीतगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक
15/12/2017 अपास्त किया जाकर अपील
अपीलान्ट उप तहसीलदार अजीतगढ
को इस आदेश के साथ रिमाण्ड कि
जाती है कि मौके पर भूमि का सही
माप जोख किया जावे एवं माप जोख
चारो दिशाओ का किया जाकर एवं
अपीलान्ट को सुनवाई का पुर्ण युक्त
अवसर देते हुए निर्णय पुनः पारित
करे। निर्णय की पालना हेतु निर्णय
कि एक प्रति तहरीर के साथ भेजी
जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर
से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:02:18 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना (सीकर)